न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 04/2022

दायर दिनांकः 09.06.2022

निर्णय दिनांक 28.08.2023

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, पुलिस उप अधीक्षक वृत कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द।

— प्रार्थी

—:बनामः—

1. श्री रामदास पिता लक्ष्मणदास वैरागी उम्र 46 साल निवासी तासोल थाना केलवा जिला राजसमन्द
2. श्री मोहनलाल पुत्र श्री नारू लाल गुर्जर उम्र 46 साल निवासी तासोल, पुलिस थाना केलवा जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री ललित साहू, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांकः 08.06.2022 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि दिनांक 19.08.2021 को मन चक्षु पंडया प्रवर्तन निरीक्षक थानाधिकारी केलवा से प्राप्त टेलीफोन सूचना पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के निर्देशानुसार टीम के मौके पर श्री मोहनलाल गुर्जर व रामदास वैरागी के सामलाती बाड़े में संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ भरकर स्टोरेज करने का टेंक जमीन में खोदकर गढ़ा हुआ तथा उसमें से संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ निकालने के लिए इलेक्ट्रीक मोटर (पम्पसेट) लगे पाये गये। मौके पर कोई स्वतंत्र मौतबिरान नहीं होने से उपस्थित पुलिस जाब्ता को मौतबिरान मामुर कर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम श्री मोहनलाल पिता नारूलाल जी गुर्जर उम्र 46 साल व श्री रामदास पिता लक्ष्मणदास वैरागी उम्र 46 साल निवासीयान तासोल थाना केलवा जिला राजसमन्द होना बताया व बताया की उक्त संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ सग्रहण का टेंक अभी 15—20 दिन पहले ही रामदास वैरागी के द्वारा शिफ्ट करवाया गया तथा दोनों के द्वारा उक्त टेंक से संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ व अन्य लोगों को डिजल बताकर भरना बताया। मौके पर ही प्राईवेट जे.सी.बी मंगवाई जाकर उपस्थित मौतबिरान के उक्त टेंक को जमीन में से खोदकर निकलवाया जाकर विडियोग्राफी करवाई गई। जमीन से निकाला गया उक्त टेंक जांच करने पर बीस हजार लीटर की

क्षमता का है मौके पर टैंक के उपर ढक्कन को खोलकर अंदर भरे संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ अन्य को इलेक्ट्रीय मोटर के माध्यम से निकालकर सुंघा व देखा गया तो संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ होना पाया गया। मौके पर मिले बीस हजार लीटर की क्षमता वाले टेंक के साथ संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ निकालने के लिए लगी इलेक्ट्रीक मोटर (पम्प सेट) एवं टेंक में संग्रहित संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ का कोई बिल वैध अनुज्ञापत्र के बारे में उपस्थित दोनो व्यक्तियों से पुछने पर नही होना बताया एवं वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया गया। पुछताछ पर रामदास वैरागी ने टैंक में संगृहित पदार्थ को बायोडिजल होना बताया। मौके पर बाडे की दिवार पर लगे इलेक्ट्रीक मीटर का विवरण मालूम करने पर उक्त मीटर श्री मोहनलाल गुर्जर के नाम पर होना पाया गया। टैंक से निकाले गये संदिग्ध तरल पेट्रोलियम पदार्थ को एल्युमिनियम के चार जार (बोटल) में संगृहित संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ साफ करके एक–एक लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ का सेम्पल एल्युमिनियम की बोटल भरकर वायर से सील कर प्लास्टिक सील लगाकर एल्युमिनियम की बोटलों को वूडन बॉक्स में डालकर वूडन बोक्स पर सील लगाई गई। अभियुक्तगण श्री मोहनलाल गुर्जर व रामदास वैष्णव द्वारा टैंक में संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ संग्रहण कर अवैध व्यापार करने के लिए इलेक्ट्रीक मोटर (पम्पसेट) रखना, पेट्रोलियम तरल पदार्थ पेट्रोलियम उत्पाद का वैध बिल कोई वैध अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पिड डिजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्सेस ऑफ मेल प्रेकटिसेस आर्डर 2005 के 2(क्यु)(आर), 3(4)(6),4 व धारा 420, 285, 120 वी भादस के प्रावधानों की अवहेलना करना पाया जाने से टैंक मय 2200 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ (अनुमानित) इलेक्ट्रीक मोटर (पम्पसेट) जब्त कर पुलिस थाना केलवा की सुपुदर्गी में दिया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के कब्जे से 2200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ जब्त किया गया जो थाना हाजा परिसर में रखवाया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से थाना केलवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट 143/2021 दर्ज करवाई गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त संबंध में अधिवक्ता द्वारा जवाब दिनांक 18.07.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी उक्त टंकी का उपयोग उपभोग कृषि कार्य करने के लिए करता था। प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध झुठा प्रकरण दर्ज किया गया। विपक्षी निर्दोष हैं। विपक्षी उक्त टंकी का एकमात्र स्वामी हैं। उक्त टंकी से किसी प्रकार का अनुसंधान करना शेष नही हैं। उक्त टंकी जो थाने में पडे रहने से उक्त टंकी नष्ट व अनुपयोगी होने की संभावना हैं तथा इससे विपक्षी को खेती का नुकसान हो रहा हैं, पानी के अभाव में उसकी फसल सूख गई हैं। उक्त टंकी को अन्तरिम सुपुदर्गी पर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। विपक्षी आप न्यायालय की आज्ञानुसार सुपुदर्गी नामा एवं जमानतनामा पेश करने को तत्पर हैं। उक्त टंकी प्रश्नगत टंकी को विपक्षी को सूपूर्दगी नामा व जमानतनामा पर सूपूर्द किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते

न्यायालय जिला कलक्टर

हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थीगण के पास से जब्तशुदा टंकी व 2200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ, अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से संग्रहित किया जाना पाया गया। जिसके बारे में अप्रार्थीगण के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण से जब्तशुदा टंकी व 2200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करना फरमावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि विपक्षी उक्त टंकी का उपयोग उपभोग कृषि कार्य करने के लिए करता था। प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध झुठा प्रकरण दर्ज किया गया। विपक्षी उक्त टंकी का एकमात्र स्वामी हैं। उक्त टंकी से किसी प्रकार का अनुसंधान करना शेष नही हैं। उक्त टंकी का थाने में पडे रहने से नष्ट व अनुपयोगी होने की संभावना हैं तथा इससे विपक्षी को खेती का भी नुकसान हो रहा हैं उक्त टंकी को अन्तरिम सुपुदर्गी पर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। विपक्षी आप न्यायालय की आज्ञानुसार सुपुदर्गी नामा एवं जमानतनामा पेश करने को तत्पर हैं। विपक्षी सर्वथा निर्दोष एवं बेकसूर है जिस कारण न्यायहित में विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधि. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब व बहस में केवल टंकी छोडने हेतु निवेदन किया। जिसे स्वीकार किया जाकर थाने में पडी टंकी को सुपुदर्गी नामा एवं जमानतनामा पेश करने पर छोडे जाने तथा 2200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशीक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण से जब्तशुदा टंकी को सुपुदर्गी नामा एवं जमानतनामा पेश करने पर छोडे जाने तथा 2200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 2200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद